न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर,सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी–श्री भवानी सिंह पंवार

अपील संख्या 19 / 2020 तारीख रजू– 07 / 01 / 2020

बाला पुत्र किशनलाल जाति गुर्जर निवासी खण्डेवला तहसील खण्डार। ––– अपीलार्थी

बनाम

सरकार जरिये नायब तहसीलदार,खण्डार ––––– रेस्पो0

निर्णय दिनांक 2.12.20

अपीलार्थी ने यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956 की धारा 75 के अन्तर्गत नायब तहसीलदार,खण्डार द्वारा मिसल संख्या 123 / 19 मे पारित आदेश दिनांक 07.10.2019 के विरूद्व प्रस्तुत की है जिसके द्वारा अपीलार्थी को ग्राम खण्डेवला के आराजी खसरा नम्बर 4 रकवा 2.00 हैक्टर किस्म चरागाह भूमि पर संवत 2076 मे अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर जोत लगाने का कर्ता मानकर अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने, शास्ति आरोपित करने के साथ साथ पश्चातवर्ती अतिचारी मानते हुए 90 दिवस सिविल कारावास की सजा के दण्ड से दण्डित करने का आदेश पारित किया गया हैं।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 की तलबी जरिये सम्मन की गई तथा अपीलाधीन निर्णय से संबंधित मूल पत्रावली तलब की गई। रेस्पो0 की ओर से राजकीय पेरोकार उपस्थित आये तथा अधीनस्थ न्यायालय की अपीलाधीन आदेश संबंधी पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

वकील अपीलार्थी ने अपील मे वर्णित तथ्यो की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विरूद्व तथा पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरित होने से निरस्तनीय है। यह तर्क दिया है कि अदालत मातहत द्वारा आदेश पारित करने से पूर्व अपीलान्ट को विधिवत नोटिस नहीं दिया ना ही अपीलान्ट को पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया है बल्कि अपीलान्ट की अनुपस्थिति में एक पक्षीय आदेश पारित किया गया है जो विधि के प्रावधानों के विपरित हाने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अतिचार के सम्बन्ध में कोई मौका निरीक्षण नहीं किया है मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट को आधार बनाकर अपना आदेश स्वेच्छाचारी ढंग से अपने न्यायिक विवके का प्रयोग किये बिना ही पारित किया है जो निरस्त योग्य है। यह भी तर्क दिया है कि अपीलान्ट के पश्चातवर्ती अतिचार के सम्बन्ध में अदालत मातहत की पत्रावली पर कोई प्रलेखीय साक्ष्य नहीं होते हुए भी अपीलान्ट को पश्चातवृति अतिक्रमी मानते हुए अपना आदेश विधि के प्रावधनो के विपरित पारित किया है जो कि निरस्त करने योग्य है। बहस में यह भी तर्क दिया है कि विवादित भूमि वर्तमान में मौके पर खाली पडी हुई है जो बरसात में

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

पशुओं क चरने के काम आती है जिस पर अपीलान्ट का कोई अतिक्रमण नहीं है जिसकी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जॉच नहीं की गयी है तथा बिना जॉच के ही आदेश पारित किया है जो निरस्त योग्य है।

वकील अपीलार्थी द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए पेरोकार सरकार ने बहस मे कथन किया कि अपीलार्थी को विधिवत नोटिस जारी करने के पश्चात ही अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर दिये जाने व पश्चातवर्ती अतिक्रमण साबित हो जाने के पश्चात ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता नही है। विद्वान पेरोकार ने बहस में यह भी तर्क दिया है कि विवादित भूमि चरागाह है जो सार्वजनिक उपयोग की भूमि है तथा मवशियों के चरने के उपयोग में काम आती है यदि अपीलार्थी को सार्वजनिक उपयोग की भूमि से बेदखल नहीं किया गया तो अन्य व्यक्तियों को भी अतिक्रमण करने हेतु बढावा मिलेगा एवं पशुधन सम्पदा को क्षति पहॅचने की पूर्ण संभावना है।अतः अपील अपीलाण्ट खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावें।

उभय पक्ष की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा अपीलाधीन निर्णय की पत्रावली का अवलोकन करने के पश्चात यह निष्कर्ष निकलता है कि पटवारी हल्का द्वारा अपीलार्थी के विरूद्व अतिक्रमण की रिपोर्ट प्रस्तुत होने पर अपीलार्थी को धारा 91 का नोटिस जारी किया गया है जिसपर अपीलाण्ट के पुत्र की तामील हुई है। अतः वकील अपीलार्थी का यह कथन कि अपीलार्थी को सुनवाई सबूत का अवसर नही दिया गया है मान्य नही है। जहां तक अतिकमित आराजी पर अपीलार्थी के पश्चातवर्ती अतिचारी होने का प्रश्न है तो पटवारी हल्का की पश्चार्ती अतिक्रमण की रिपोर्ट पर पटवारी हल्का के बयान लिये गये है जिसमे पटवारी हल्का ने बताया है कि अपीलार्थी ने पुनः अतिकमित आराजी पर अतिक्रमण कर लिया है व अपीलार्थी अतिक्रमण करने का आदी है इसलिये अपीलार्थी के विरूद्व कठोर कार्यवाही की जावें। उक्त कथन से अपीलार्थी पश्चातवर्ती अतिचारी साबित होता है तथा अदालत मातहत द्वारा पारित किये गये निर्णय मे किसी प्रकार की अनियमितता नजर नही आती है तथा अतिकमित आराजी की किस्म भी चरागाह है जो मूक पशुओ की चराई मे काम आती है व सार्वजनिक उपयोग की भूमि होने से चरागाह भूमि पर बढते अतिचार को रोकना अत्यन्त आवश्यक है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी अस्वीकार की जाकर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 07.10.2019 यथावत रखा जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 2.12.20 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(भवानी सिंह पंवार)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर